न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण संख्या 32/2022(2022/)

अविनाश कोठारी पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति महाजन

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर –– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–

1. प्रार्थी स्वयं
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर

–:: आदेश ::– दिनांक– 22.04.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत पेश किया प्रार्थी का निवेदन संक्षेप मे निम्न प्रकार है कि प्रार्थी आराजी ग्राम सावर के जमावंदी सवत् 2073–2076 के खाता संख्या नया–पुराना 1189–1103 के खसरा नंबर 6032/2488 रकबा 0.08 व 6141/2488 रकबा 0.25 की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाना है उक्त खसरा नंबर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेशानुसार सा.नि.वि के खातेदार के नाम दर्ज हुऐ है नामान्तरण संख्या 1010 दिनांक 24.2.2004 द्वारा खसरा नंबर 2488 में से 0.08 खातेदार के नाम दर्ज की गई उक्त नामान्तरण में भूमि की किस्म बारानी दर्ज की गई किन्तु अमल दराज के दौरान किस्म बारानी दर्ज नही की गई एवं पुरानी किस्म गै.मु.रास्ता ही दर्ज कर दी गई। अतः उक्त खसरा संख्या 6032/2488 रकबा 0.08 एंव खसरा संख्या 6141/2488 रकबा 0.25 की किस्म दुरूस्त कराने का निवेदन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये तहसीलदार सावर द्वारा जॉच हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार सावर द्वारा जॉच पत्रांक राजस्व/2022/3283 दिनांक 20.4.2022 से प्राप्त हुई जो निम्नानुसार है:–

प्रार्थना पत्र की जांच पटवारी हल्का सावर भू.अ.नि सावर जमावंदी, ना.सं.1010, 1438/11.4.2008, नां. सं. 1499/05.09.2008 से की गई जो निम्नानुसार है

1. मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 2488/0.21 साबिक खसरा नंबर 2087/0.09, 2090/0.12 से बना। उक्त आराजी वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 1117 में पी.डब्लू.डी के खाते में दर्ज रिकॉर्ड है।
2. ना. सं. 1010 दिनांक 24.2.2004 द्वारा खसरा नंबर 2488/0.21 गै.मु.रास्ता से खसरा नंबर 2488/0.08 बा.1 राजेन्द्र कुमार पुत्र सुवालाल जाति कौठारी के नाम श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी के आदेश कमांक राजस्व 04/398 दिनांक 03.12.04 द्वारा दर्ज रेकॉर्ड हुआ है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.11 12:02:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

3. ना.सं. 1438 दिनांक 11.04.2008 द्वारा खसरा नंबर 2488 का रकबा 0.21 में 0.51 जोड़कर कुल 0.72 हैक्टर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय केकड़ी के आदेश कमांक 72 दिनांक 30.01.08 द्वारा दर्ज रिकॉर्ड हुआ। उक्त रकबा खसरा नंबर 4257/5739 रकबा 0.52 बा.1, 4556/5585 रकबा 0.46 बा.1 कुल रकबा बा.1 कुल रकबा 0.98 हैक्टर खसरा नंबर 2487 रकबा 0.47 बारानी 2, 2488/0.51 कि किस्म बा.2 दर्ज की गई है लेकिन ख.नं. 2488 कि किस्म बा.2 दर्ज की ना जाकर गै.मु.रास्ता दर्ज की गई।।

4. ना.सं. 1499 दिनांक 05.09.08 द्वारा खं.नं. 2488/0.08 से 2488/0.33 दर्ज रेकॉर्ड हुआ लेकिन उक्त कि किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज की गई। जबकि 0.08 ना.सं. 1010 से बारानी दर्ज हुआ था मौका स्थिति रिपोर्ट पटवारी जांच, भू.अ.नि. एंव दुरस्तीकरण आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय केकड़ी के आदेशानुसार ग्राम सावर वर्तमान जमाबंदी के खसरा नंबर 6032/2488/0.08, 6141/2488/0.25 पर मौका स्थिति के अनुसार मौके पर रास्ता नही है।

5. पटवारी मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी ख.नं. 6032/2488, 6141/2488 मौके पर कब्जा काश्त है। मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार सावर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट मय मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आराजी ग्राम सावर के खाता संख्या 1189 के खसरा संख्या 6032/2488 रकबा 0.08हैक्टर व खसरा संख्या 6141/2488 रकबा 0.25हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता को दुरूस्त कर बारानी दर्ज किया जावे। तहसीलदार सावर उक्त खाते में दोनो खसरो की किस्म को इन्द्राज दुरूस्त कि कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.11 12:02:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner